[2025] 6 एस.सी.आर. 280: 2025 आईएनएससी 711

हंसुरा बाई एवं अन्य।

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 2647/2025)

15 मई 2025

[विक्रम नाथ और संदीप मेहता, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय प्रश्न

क्या एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं (पीड़ित के परिवार) द्वारा पीड़ित की अभिरक्षा में हुई मौत की जांच किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपने की प्रार्थना को अस्वीकार करने में गलती की है; तथा अभिरक्षा में हुई यातना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (पीड़ित के चाचा) को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने में भी गलती की है।

शीर्ष टिप्पणियां

अभिरक्षा में मृत्यु - जांच का स्थानांतरण - कब अनुमति दी जाएगी - "कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता":

अभिनिर्धारित: इस घटना में स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत हो गई, हालाँकि प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन आठ महीने बीत जाने के बाद भी आज तक एक भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है - पीड़ित की अभिरक्षा में हुई मौत में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता अभिरक्षा में यातना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (पीड़ित के चाचा) के बयान से स्पष्ट है और मजिस्ट्रेट जांच के दौरान आगे इसकी पुष्टि हुई है - स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित के परिवार को घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज करने से रोका - मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव- वध का अपराध छोड़ दिया गया - तथ्यों के आधार पर, स्थानीय पुलिस द्वारा अन्वेषण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं किया जा रहा है - पीड़ित के चाचा ने पुलिस और जेल अधिकारियों के हाथों गंभीर खतरे की आशंका व्यक्त की, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया - वर्तमान मामला 'नीमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' का एक उत्कृष्ट मामला है जिसका अर्थ है कि 'किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए' - जांच सीबीआई को हस्तांतरित। [पैरा 26-31]

गवाह संरक्षण योजना - पीड़ित के चाचा, पीड़ित की यातना और अभिरक्षा में हुई मृत्यु के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे - उन्हें सुरक्षा और बचाव प्रदान करना राज्य का कर्तव्य:

अभिनिर्धारित: तथ्यों के आधार पर, किसी तरह से पीड़ित के चाचा को फंसाने का प्रयास किया गया, पीड़ित के चाचा, हिरासत में हुई मौत के मुख्य गवाह, को कई मामलों में उसका मनोबल गिराने और उसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए - उसे उन सभी मामलों में जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई, जहां 13/14 जुलाई, 2024 की घटना के बाद उसे फंसाया गया था, जहां उसे और पीड़ित को चोरी के मामले में पुलिस द्वारा बलपूर्वक ले जाया गया था - इसके अलावा, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह उसे जेल में या जमानत पर रिहा होने के बाद सुरक्षा प्रदान करे, निर्देश जारी किया गया। [पैरा 36]

आपराधिक विधि- जांच का स्थानांतरण - जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति - प्रयोग - चर्चा की गई। [पैरा 12]

वाद विधियां जिनका हवाला दिया गया

नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य [2011] 5 एससीआर 729: (2011) 5 एससीसी 79 का उल्लेख किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860.

कीवर्ड की सूची

अभिरक्षा में मौत; पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत; जांच का सीबीआई को हस्तांतरण; यातना और अभिरक्षा में मौत का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी; पीड़ित का चाचा; अभिरक्षा में मौत में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता; स्थानीय पुलिस अधिकारी; स्थानीय पुलिस द्वारा जांच निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं; मृत शरीर का शव परीक्षण; डॉक्टरों पर दबाव/प्रभाव; दोषी पुलिस अधिकारी; 'नीमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ'; 'किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए'; जांच सीबीआई को हस्तांतरित; गवाह संरक्षण योजना।

मामला उत्पन्न अंतर्गत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2647/2025

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के आई.ए. क्रमांक 12328/2024 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.12.2024 से

पक्षकारो की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्तागण:

सुश्री पयोशी रॉय, सिद्धार्थ, एस. प्रभु रामासुब्रमण्यम,
सुश्री निकिता सोनावणे, सागर सोनी, सुश्री माहेश्वरी मावासे,
सुश्री माधवी गोमथीस्वरन, भारतीमोहन एम., अविनाश कुमार,
सुश्री वी. स्वेता, वैरावन ए.एस.

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण:

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए.एस.जी., नचिकेता जोशी, ए.ए.जी., सुश्री राधिका,
यशराज सिंह बुंदेला, अभिनव श्रीवास्तव, सुश्री सलोनी, अर्पित
गर्ग, ध्रुव शर्मा, शिखर गोयल, प्रणव सचदेवा, शिवम गौड़,
नितिन शर्मा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

मेहता, न्यायमूर्ति.

1. सुना है।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति से इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा रिट याचिका संख्या 33416/2024 में पारित दिनांक 20 दिसंबर, 2024 के निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा देवा पारधी की अभिरक्षा में हुई मृत्यु की जांच किसी अन्य जांच एजेंसी को हस्तांतरित करने और अभिरक्षा में हुई यातना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् गंगाराम पारधी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने की प्रार्थना को ठुकरा दिया था।

4. अभिलेख से सामने आए तथ्यों से पता चलता है कि ग्राम भिडरा निवासी भगवान सिंह ने म्याना पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चोरी और रात्रि गृह-अतिचार के लिए प्राथमिकी संख्या 232/2024 दर्ज कराई थी, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 380 और 457 के तहत दंडनीय है। परिवादी के अनुसार, 2 जून, 2024 को उसके घर की तिजोरी से चांदी और सोने के आभूषण और नकदी की बड़ी मात्रा चोरी हो गई थी। उक्त घटना की प्राथमिकी 3 जून, 2024 को दर्ज करायी गई।

5. अपीलकर्ता क्रमशः देवा पारधी की मां और चाची हैं, जिसकी शादी 14 जुलाई, 2024 को निकिता पारधी के साथ होने वाली थी। अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि जब हल्दी की रस्म चल रही थी, लगभग 30-40 पुलिसकर्मी 5-6 पुलिस कारों और दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर विवाह स्थल में घुस आए। समय लगभग शाम 04:00 बजे से 04:30 बजे का था, जब 10 पुलिस अधिकारी देवा पारधी के घर में घुसे और तुरंत उसे और उसके चाचा, अपीलकर्ता नंबर 2 के पति गंगाराम पारधी को पकड़कर हथकड़ी लगा दी और उन दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस दल के शेष सदस्यों ने घर को घेर लिया। जब महिलाओं और बच्चों सहित परिवार के सदस्यों ने दोषी पुलिस अधिकारियों के अत्याचारपूर्ण कृत्यों का विरोध करने की कोशिश की, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें पीटा गया। पुलिस अधिकारियों ने देवा पारधी और गंगाराम पारधी को घसीटा और जबरन पुलिस वैन में झागर चौकी ले गए। परिवार के सदस्यों को बताया गया कि उन्हें चोरी के मामले में पूछताछ के लिए म्याना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुबह तक देवा पारधी और गंगाराम पारधी दोनों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। आरोप है कि पुलिस अधिकारी देवा पारधी और गंगाराम पारधी को सीसीटीवी वाले नए थाना परिसर के बजाय पुराने थाने ले गए। दोनों परिवारों की महिलाएँ थाने गईं, लेकिन उन्हें देवा पारधी और गंगाराम पारधी से मिलने और बात करने नहीं दिया गया।

6. देवा पारधी और गंगाराम पारधी, दोनों को धमकाया गया और उनके साथ थर्ड-डिग्री का व्यवहार किया गया, जिसमें रस्सियों से पिटाई, उनके शरीर पर मिर्च पाउडर, पेट्रोल, नमक और गर्म पानी डालना शामिल था। देवा पारधी को रस्सियों से बांधकर छत से उल्टा लटका दिया गया था। उसका चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था जो एक रस्सी से उसके टखने से बंधा हुआ था। उसका दम घोंटने की कोशिश में बार-बार उस पर पानी डाला गया। देवा पारधी को मौत का डर दिखाकर, पुलिस अधिकारियों ने उस पर भगवान सिंह द्वारा बताई गई चोरी कबूल करने का दबाव डाला। गंगाराम पारधी ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने की कोशिश की कि उन्हें तथाकथित चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देवा पारधी को लगभग तीन घंटे तक इस तरह प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद रस्सी काट दी गई। परिणामस्वरूप, देवा पारधी छत से फर्श पर गिर गया। फिर भी, पुलिस अधिकारियों ने नरमी नहीं दिखाई और उसे यातनाएँ देते रहे। देवा पारधी के ज़ख्मों पर गर्म पानी फेंका गया और नमक डाला गया। यातनाओं का असर देवा पर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे चिकोटी काटी। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो पुलिस अधिकारी देवा पारधी को दूसरे कमरे में ले गए। बाद में, एक एम्बुलेंस बुलाई गई और पुलिस अधिकारी देवा पारधी को अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

7. पुलिस अधिकारियों द्वारा 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से अभिरक्षा में रखे जाने के बाद, गंगाराम पारधी को 15 जुलाई, 2023 को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और गुना जिला जेल भेज दिया गया।

8. गंगाराम पारधी के परिवार के सदस्यों को यह जानकर बहुत निराशा और सदमा पहुंचा कि श्री राजेंद्र सिंह चौहान, उनमें से एक पुलिस अधिकारी जो उस दल का हिस्सा थे, जिसने देवा पारधी और गंगाराम पारधी को जबरन ले जाकर हिरासत में लिया था, ने गंगाराम पारधी के पूरे परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023, की धारा 191(1), 191(2), 190, 109(1), 132, 121(1), 296, 221 और 324(4) के तहत प्राथमिकी संख्या 247/2024 दर्ज कराई।

9. देवा पारधी के शव का शव परीक्षण किया गया और शव परीक्षण करने वाले डॉक्टरों ने मृतक के शरीर पर कई चोटों, खरोंचों आदि की सूचना दी। मृत्यु का कारण हिस्टोपैथोलॉजिकल और जैव-रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक सुरक्षित रखा गया था। इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि बाद में डॉक्टरों ने यह राय दी कि देवा पारधी की मृत्यु का कारण वासोवागल शॉक था जिसके कारण हृदयाघात हुआ।

10. देवा पारधी की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच की गई और उसके निष्कर्ष पर, म्याना पुलिस स्टेशन में धारा 105(हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध), धारा 115(2) (स्वेच्छा उपहति कारित करना) और बीएनएस की धारा 3(5) (संयुक्त आपराधिक दायित्व) के तहत दंडनीय अपराध के लिए म्याना पुलिस थाने के नगर निरीक्षक और सात से आठ अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 341/2024 दर्ज की गई।

11. जांच के दौरान साक्षियों के बयानों के आधार पर, बीएनएस की धारा 120 (संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत दंडनीय अपराध मामले में जोड़े गए।

12. देवा पारधी की अभिरक्षा में हुई मौत से संबंधित प्राथमिकी में स्थानीय पुलिस को सौंपी गई जाँच अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी के बिना अटकी हुई है। इस बीच, अभिरक्षा में हुई मौत की इस गंभीर घटना के एकमात्र गवाह, गंगाराम पारधी, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, को आपराधिक मामलों में फंसाया गया है, जैसे प्राथमिकी संख्या 247/2024, थाना धरनावदा; 489/2023, थाना धरनावदा; 434/2023, थाना जावरा; और 87/2023, थाना चिप्पाबड़ौद, आदि।

13. यहां अपीलकर्ता, गंगाराम पारधी के रिश्तेदार होने के नाते, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका संख्या 33416/2024 प्रस्तुत की, जिसमें एफआईआर संख्या 341/2024 की जांच किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग की गई, साथ ही गंगाराम पारधी को जमानत देने के लिए एक अंतरिम आवेदन भी दिया गया।

14. उच्च न्यायालय ने, 20 दिसंबर, 2024 को, आई.ए. संख्या 12328 में पारित आदेश के तहत, गंगाराम पारधी की ओर से की गई ज़मानत की अर्ज़ी को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, साथ ही,

उच्च न्यायालय ने जिला जेल, गुना में पहुँच रखने वाले पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा गंगाराम पारधी को दी जा रही धमकियों, प्रपीड़न और दबाव के आरोपों को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि गंगाराम पारधी को केंद्रीय जेल, ग्वालियर स्थानांतरित किया जाए।

15. व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

16. अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्वान वकील सुश्री पयोशी रॉय ने जोरदार और उत्साहपूर्वक आग्रह किया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों का पूरा प्रयास गंगाराम पारधी पर दबाव डालना और उसे उन पुलिस अधिकारियों के पक्ष में गवाही देने के लिए मजबूर करना है, जो देवा पारधी की अभिरक्षा में की गई क्रूर हत्या में शामिल थे।

17. उन्होंने आगे तर्क दिया कि गंगाराम पारधी को एक के बाद एक कई आपराधिक मामलों में उलझाया जा रहा है, ताकि उसकी हिरासत अवधि बढ़ाई जा सके और उसे अपना बयान बदलकर पुलिस अधिकारियों को निर्दोष साबित करने के लिए मजबूर किया जा सके।

18. उन्होंने दलील दी कि यह उचित मामला है, जिसके तहत देवा पारधी की हिरासत में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंपने और गंगाराम पारधी को जमानत देने का निर्देश देने की जरूरत है, जो 13/14 जुलाई, 2024 की घटना के बाद कई झूठे मामलों में उलझे हुए हैं।

19. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनो का विरोध किया है।

20. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि मामले में शामिल दो पुलिस अधिकारियों को पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि दोषी पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के अलावा, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोई भी वास्तविक या ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फिर भी, उन्होंने आग्रह किया कि राज्य पुलिस देवा पारधी की अभिरक्षा में हुई मौत से संबंधित मामले की निष्पक्ष जाँच कर रही है और जाँच पूरी होने के बाद सभी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

21. यह भी प्रस्तुत किया गया कि गंगाराम पारधी को महसूस किए जा रहे खतरे के बारे में व्यक्त की जा रही आशंकाएं, उन्हें गुना जेल से ग्वालियर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दूर हो गई हैं और इस प्रकार, अब इस संबंध में चिंता का कोई कारण नहीं है।

22. यह तर्क दिया गया कि गंगाराम पारधी एक दुर्दांत अपराधी है जो गंभीर अपराधों से जुड़े कई मामलों में वांछित है और इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई निर्दोषता और झूठे आरोप लगाने की दलीलें बेबुनियाद हैं। सुश्री भाटी ने आग्रह किया कि गंगाराम पारधी संबंधित न्यायालयों से

ज़मानत का विकल्प चुन सकते हैं और इसलिए, इस मामले में अनुतोष प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है।

23. हमने बार में प्रस्तुत निवेदनो पर गहन विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

24. रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ताओं की व्यथा यह थी कि स्थानीय पुलिस अपना स्वयं का मामला तय कर रही है, जिससे अपीलकर्ताओं के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो रहा है।

25. विधि की यह स्थापित स्थिति है कि जाँच एजेंसी की विश्वसनीयता पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्याय के हित में और संस्था पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, किसी विशेष जाँच एजेंसी को जाँच स्थानांतरित करने की शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि जाँच एजेंसी विवाद से अवगत है, तो वह जाँच की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर सकती है और इस प्रकार, जाँच स्थानांतरित करने का आधार बन सकती है। इस संबंध में, **नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य** में इस न्यायालय के निर्णय का लाभप्रद संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:

> "61. **मोहम्मद अनीस बनाम भारत संघ** [1994 अनुपूरक (1) एससीसी 145: 1994 एससीसी (क्रि) 251] में इस न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि:
>
> > "5. ... विवाद से असंबद्ध एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा न्यायोचित और निष्पक्ष जाँच जनहित की माँग है। **यदि जाँच किसी ऐसी एजेंसी द्वारा की जाती है जो कथित रूप से विवाद से जुड़ी हुई है, तो जाँच की विश्वसनीयता पर संदेह होगा और यह जनहित के साथ-साथ न्याय के हित के भी विपरीत होगा।"**(एससीसी पृष्ठ 148, पद 5)
>
> > "2. ... जांच की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया गया क्योंकि यह आशंका थी कि स्थानीय पुलिस पर मुठभेड़ों में शामिल होने का आरोप था, इसलिए उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी द्वारा की गई जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती।" (एससीसी पृष्ठ 147, पद 2)
>
> 62. इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय **आर.एस.सोढ़ी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** [1994 अनुपूरक (1) एससीसी 143: 1994 एससीसी (क्रि) 248] में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रासंगिक है:(एससीसी पृ. 144-45, पद 2)
>
> > "2. ... हमने घटना के बाद घटित घटनाओं का अवलोकन किया है, लेकिन हम उनके विवरण में जाने से बच रहे हैं, जब तक की इससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान

न हो। लेकिन हमारा मानना है कि चूंकि आरोप स्थानीय पुलिसकर्मियों के खिलाफ हैं, इसलिए जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना वांछनीय होगा, ताकि मृतक के रिश्तेदारों सहित सभी संबंधित लोग आश्वस्त हो सकें कि एक स्वतंत्र एजेंसी मामले की जांच कर रही है और जिससे जांच के अंतिम परिणाम को विश्वसनीयता मिलेगी। **स्थानीय पुलिस चाहे कितनी भी ईमानदारी से जाँच करे, उसकी विश्वसनीयता कम ही रहेगी क्योंकि आरोप उनके खिलाफ हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमने उचित और वांछनीय होने के साथ-साथ न्याय के हित में भी यह उचित समझा कि जाँच तुरंत केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दी जाए और हमें उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द जाँच पूरी करेगा ताकि घटनाओं में शामिल लोगों को, किसी न किसी तरह, सज़ा मिल सके।** हम तदनुसार निर्देश देते हैं।"

63. इन दोनों ही निर्णयों में, इस न्यायालय ने किसी भी पक्षकार द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई भी राय व्यक्त करने से परहेज किया, लेकिन घटना की सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाना उचित समझा ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। **इस न्यायालय ने महसूस किया कि स्थानीय पुलिस चाहे कितनी भी निष्ठा और ईमानदारी से जांच क्यों न करे, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी क्योंकि आरोप उनके खिलाफ थे। इसलिए, इस न्यायालय ने सीबीआई को जांच सौंपना वांछनीय और उचित तथा न्याय के हित में समझा ताकि वह जल्द से जल्द जांच पूरी कर सके।** यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसा आदेश देने का उद्देश्य स्थानीय पुलिस या राज्य सरकार पर कोई आक्षेप लगाना नहीं था। इस न्यायालय ने केवल जनहित में कार्य किया।"

(जोर दिया गया)

26. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पुलिस अभिरक्षा में देवा पारधी की मौत की घटना के लिए प्राथमिकी संख्या 341/2024 दर्ज की गई है, लेकिन आज तक अभिरक्षा में हुई युवक की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

27. यह भी निर्विवाद है कि देवा पारधी की अभिरक्षा में हुई मौत के एकमात्र गवाह गंगाराम पारधी ने पुलिस और जेल अधिकारियों से गंभीर ख़तरा होने की आशंका जताई थी। उच्च न्यायालय ने ख़तरे की आशंका की वास्तविकता को स्वीकार किया और गंगाराम पारधी को गुना जेल से ग्वालियर की केंद्रीय जेल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

28. इसलिए, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि यह एक ऐसा उत्कृष्ट मामला है जिसके लिए लैटिन कहावत 'नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' का प्रयोग आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि 'किसी को भी

अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।' देवा पारधी की अभिरक्षा में मौत का आरोप म्याना पुलिस स्टेशन के स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर है। यह तथ्य कि पुलिस अधिकारियों ने शुरू से ही जाँच को प्रभावित किया है, इस परिस्थिति से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि देवा पारधी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी दबाव/प्रभावित प्रतीत होते हैं।

29. हम यह मानने को विवश हैं कि अभिरक्षा में यातना के शिकार, देवा पारधी, के शरीर पर बड़ी संख्या में चोटों के बावजूद, उसके शव का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने उसकी मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की। यह चूक जानबूझकर, बल्कि अनजाने में की गई प्रतीत होती है और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम प्रतीत होती है। देवा पारधी की अभिरक्षा में हुई मौत में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गंगाराम पारधी के बयान से स्पष्ट रूप से सामने आती है और मजिस्ट्रेट जाँच के दौरान इसकी पुष्टि होती है। पीड़ित परिवार ने घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मजिस्ट्रेट जाँच के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध छोड़ दिया गया। प्राथमिकी दर्ज हुए लगभग आठ महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

30. इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं की जा रही है और यदि जांच राज्य पुलिस के हाथों में छोड़ दी जाती है, तो अभियोजन अभियुक्तों द्वारा दबा दिए जाने की पूरी संभावना है, जो स्पष्ट रूप से सौहार्द के कारण अपने साथी पुलिसकर्मियों को बचा रहे हैं।

31. इसलिए, हम यह निर्देश देना उचित और आवश्यक समझते हैं कि प्राथमिकी संख्या 341/2024 की जांच तत्काल केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित कर दी जाए।

32. सीबीआई के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधीक्षक तत्काल आरसी दर्ज करने का निर्देश देंगे और देवा पारधी की अभिरक्षा में हुई मौत की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे। अभिरक्षा में हुई मौत के लिए ज़िम्मेदार पाए गए सभी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और आज से एक महीने के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाँच अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

33. जहाँ तक गंगाराम पारधी को ज़मानत दिए जाने का सवाल है, हम देख सकते हैं कि उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि किसी न किसी तरह, गंगाराम पारधी को एक के बाद एक कई मामलों में फँसाने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखा जा सके और उनका और उनके परिवार के सदस्यों का मनोबल तोड़ा जा सके, जिससे यह

सुनिश्चित हो सके कि देवा पारधी की अभिरक्षा में हुई मौत का मुख्य गवाह होने के नाते उक्त व्यक्ति न केवल हतोत्साहित हो, बल्कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने से भी रोका जा सके। गंगाराम पारधी की ओर से व्यक्त की गई जान को खतरे की आशंका को उच्च न्यायालय ने विधिवत स्वीकार कर लिया है और उसे ग्वालियर की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

34. इस पृष्ठभूमि में, हम गंगाराम पारधी को उन सभी मामलों में जमानत देने के लिए सीधे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर में जाने की स्वतंत्रता देते हैं, जिनमें उन्हें 13/14 जुलाई, 2024 की घटना के बाद फंसाया गया है। उच्च न्यायालय, जमानत देने के लिए आवेदन/आवेदनों पर विचार करते समय, उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा और अनुरोध किया जाता है कि गंगाराम पारधी की ओर से जमानत के लिए की गई प्रार्थना, यदि कोई हो, पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

35. गंगाराम पारधी, देवा पारधी की यातना और अभिरक्षा में हुई मौत का एकमात्र चश्मदीद गवाह है और इसलिए, गवाह संरक्षण योजना के तहत उसे सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।

36. इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि गंगाराम पारधी को जेल में या जमानत पर रिहा होने के बाद बचाव और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव (गृह), मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश की होगी।

37. तदनुसार, अपील का निपटारा इन शर्तों के अनुसार किया जाता है।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील का निपटारा किया गया।

अनुवादक – शिवानी बंसल